Parimal Nathwani
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

Member:
Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice
Consultative Committee, Ministry of Commerce and Industry
Permanent Special Invitee:
Consultative Committee, Ministry of External Affairs

सत्यमेव जयते

165, South Avenue,
New Delhi - 110 011
Ph.: 011-23794010
e-mail : parimal.nathwani@sansad.nic.in

' Vraj ', Opp. HDFC Bank,
Beside Chandanbala Tower,
Nr. Suvidha Shopping Centre,
Paldi, Ahmedabad - 380 007

झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सभा सांसद नथवाणी के चुनाव को चुनौती देती याचिका खारिज

रांची : जुलाई 27, 2011 : झारखण्ड उच्च न्यायालय ने श्री परिमल नथवाणी के राज्य सभा के चुनाव को चुनौती देती एक याचिका खारिज कर दी है। राज्य उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री डी. के. सिंहा ने चुनाव याचिका नं. EP01/2008 के ऊपर अपना फैसला दिया। फैसला सुनाते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि : ''पिटीशन डिसमिस्ड। इन्टर लोक्युटरी एप्लिकेशन्स एलाउड।''

श्री किशोरी ने यह चुनाव-याचिका दायर की थी। मार्च 2008 में हुए राज्य सभा चुनाव में श्री परिमल नथवाणी के सामने पराजित उम्मीदवारों में श्री आर. के. आनंद के साथ श्री किशोरी लाल भी एक उम्मीदवार थे।

यह याचिका EP01/2008 के केन्द्र में श्री नथवाणी का डाक का पता एक मुद्दा था। अपील कर्ता के अनुसार मतदाता सूचि नं. 51/179 में श्री नथवाणी का पता गुजरात के खंभालिया विधानसभा क्षेत्र का था और राज्य सभा के नामांकन पत्र में रांची का पता दर्शाया गया था। उन्होंने अपनी याचिका में प्रमाण के तौर पर मामलतदार (तहसीलदार), खंभालिया की और से दिया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था।

नामांकन पत्र में विजेता उम्मीदवार द्वारा मतदान क्षेत्र (झारखण्ड विधानसभा क्षेत्र) का नाम भरना रह गया था और यही नामांकन पत्र स्वीकृत किया गया था। इससे नामांकन आधारहीन हो जाता है, ऐसा याचिका कर्ता का मानना था।

एक और मुद्दा उठाते हुए याचिका कर्ताने बताया था कि विजेता उम्मीदवार की जन्म तारीख दाखिले के मुताबिक 52 साल बताई गई थी, जब कि मतदाता सूची में इसे 55 साल दर्शाया गया था। निर्वाचन अधिकारी के सामने नामांकन पत्र दाखिल करते समय भी यही बताया था। याचिका में एक मुद्दा यह भी था कि उम्मीदवार ने नामांकन पत्र में अपना नाम 'परिमल नथवाणी' दर्शाया था, लेकिन सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने प्रमाण-पत्र में यह नाम 'नथवाणी परिमल धीरजलाल' दर्शाया था।

न्यायालय ने याचिका में दर्शाये गये एक भी मुद्दे का स्वीकार नहीं किया और झारखण्ड के विधायकों की श्री परिमल नथवाणी की राज्य सभा के लिए पसंदगी को वैध करार दिया। वरिष्ठ एडवोकेट श्री अनिलकुमार ने श्री परिमल नथवाणी की और से पैरवी की; जब कि श्री एच. के. लाल ने याचिका कर्ता का पक्ष रखा था।

★ ★ ★